संक्षिप्त समाचार

अक्षय तृतीया पर श्री कल्याण जी महाराज की महा आरती की

मालपुरा (सीमा सन्देश संवाददाता)। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर सोमवार को डिग्गीपुरी धाम में श्री कल्याण जी महाराज के मंदिर में विशेष महा आरती का भव्य आयोजन किया गया। भक्तों की अपार श्रद्धा और आस्था के बीच भगवान के दिव्य दर्शन पाकर श्रद्धालुओं ने श्रीध्कल्याण धणी के जमकर जयकार लगाई। आपको बता दे आज ऋतु परिवर्तन के साथ वसंत और शरद ऋतु के समापन के बाद ग्रीष्म ऋतु की शुरूआत मानी जाती है। इसी शुभ अवसर पर श्री कल्याण जी महाराज को शीतलता प्रदान करने हेतु सफेद पोशाक धारण करवाई जाती है। यह पवित्र पोशाक शरद पूर्णिमा तक भगवान को अर्पित रहती है। इस विशेष पर्व पर भगवान को विविध प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता हे जिसमें मुख्य रूप से ककड़ी, खरबूजा, और चने की दाल शामिल होते हैं।

एचपीवी वैक्सीन की जानकारी दी

मालपुरा (सीमा सन्देश संवाददाता)। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालपुरा में सोमवार को डॉ यशवंत चौहान (महिला रोग विशेषज्ञ)ओर टीकाकरण प्रभारी मोहम्मद इफ्तेखार नकवी द्वारा एचपीवी वैक्सीन के बारे 14 वर्ष की लड़कियों को विस्तृत जानकारी दी गई और एचपीवी वैक्सीन लगाने के प्रेरित किया गया। एचपीवी वैक्सीन महिलाओं को बच्चेदानी के कैंसर के बचाव करती है। पीएमओ डॉ पीयूष राज सिंह ने बताया कि निजी अस्पतालों में इसके 15 से 20 हजार रुपए चुकाने पड़ते है परंतु ये सुविधा जिला अस्पताल मालपुरा में नि:शुल्क उपलब्ध है।

साइबर क्राइम के बारे में दी जानकारी

मालपुरा (सीमा सन्देश संवाददाता)। रोटरी डिस्ट्रिक्ट के अविरल सप्ताह के अंतर्गत सोमवार को रोटरी क्लब मालपुरा ग्रीन द्वारा हॉलिस्टिक स्कूल मालपुरा में साइबर क्राइम अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें मालपुरा थाने की कालिका टीम की सदस्य मधु बेनीवाल और समता चौधरी ने वर्तमान समय में महामारी के रूप मे फैले साइबर क्राइम के बारे मे विस्तार से बताया व बचाव की जानकारी दी। यातायात प्रभारी शिवजी राम चौधरी ने बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी दी। विधालय प्रभारी विवेक पारीक ने का आभार जताया। इस अवसर पर क्लब पर अध्यक्ष महेश गुप्ता, सचिव सोहन लाल अग्रवाल, प्रेसिडेंट इलेक्ट नरेश काबरा, राजेश पारीक, मधु पारीक मौजूद रहे।

कलश यात्रा के साथ संगीतमय श्रीराम कथा का आयोजन आज

पावटा (सीमा सन्देश संवाददाता)। पावटा के श्री गौपाल भैया मंदिर में आज से संगीतमय श्रीराम कथा का आयोजन कलश यात्रा के साथ किया जाएगा। मन्दिर महंत मोहनदास महाराज रामायणी ने बताया कि केशव सागर धर्मशाला से कलश यात्रा के साथ शुभारभ किया जाएगा कथाव्यास श्री बाबूरामदास जी महाराज (घाटी धाम) द्वारा आज से दोपहर सवा 12 बजे से सायं सवा 4 बजे तक मयार्दा पुरुषोंतम भगवान श्रीराम जी की श्रीराम कथा पर प्रवचन करेंगे। संगीतमय श्रीराम कथा का समापन 29 अप्रैल बुधवार को होगा। गुरुवार 30 अप्रैल को हवन पूजन पूणार्हुति, संत समागम एवं भंडारा पंगत प्रसादी का वितरण किया जाएगा।

जिला कलक्टर ने मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे संबंधी सभास्थल का लिया जायजा

टोंक (सीमा सन्देश संवाददाता)। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ,मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 27अप्रैल को टोंक में प्रस्तावित दौरे को ध्यान में रखते हुए सोमवार को जिला कलक्टर टीना डाबी ने भाजपा कार्यालय एवं समीप ही भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन एवं जनसभा स्थल का जायजा लिया। जिला कलक्टर टीना डाबी ने भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान से 27अप्रैल को आयोजित भाजपा कार्यालय उद्घाटन एवं जनसभा स्थल की व्यवस्थाओं संबंधी जानकारी ली।साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।जिस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर रामरतन सोकरिया,पीडब्ल्यूडी टोंक के अधिशाषी अभियंता नागेंद्र सिंह परिहार ,नगर परिषद टोंक के आयुक्त धर्मपाल जाट सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने जिला कलक्टर को पार्टी कार्यक्रम एवं सभा स्थल की जानकारी दी।जिस दौरान भाजपा जिला महामंत्री विष्णु शर्मा,पूर्व जिला महामंत्री दीपक संगत सहित भाजपा पदाधिकारी मौजूद थे।

अवैध खनन पर तहसीलदार पवन मातवा ने की कार्रवाई

मालपुरा (सीमा सन्देश संवाददाता)। मालपुरा तहसीलदार पवन मातवा ने जानकारी देते हुए बताया की उपखण्ड अधिकारी मालपुरा व उन्हे सूचना मिली कि तहसील मालपुरा के राजस्व ग्राम अम्बापुरा पटवार मण्डल टोरडी मुवालों की ढाणी के पीछे सरकारी चारागाह भूमि में किसी व्यक्ति के द्वारा एल.एन.टी. मशीन लगाकर सरकारी भूमि से मिटटी खोदकर अन्यत्र ले जाई जा रही है। प्राप्त सूचना की मौका स्थिति की रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक टोरडी एवं पटवारी पटवार हल्का टोरडी से प्राप्त की गई, भू अभिलेख निरीक्षक टोरडी एवं पटवारी टोरडी ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत करवाया है कि मौके पर आराजी खसरा नम्बर 535 किस्म चारागाह वाके ग्राम अम्बापुरा पटवार मण्डल टोरडी 2 मे एल.एन.टी. मशीन चालक सुरेश पुत्र विजय सिंह खारोल द्वारा मशीन से बिना वैध लाईसेंस व परमिट/खनन पटटे के मिटटी की अवैध खुदाई की जा रही थी । प्रकरण की गम्भीरता के मध्यनजर जिला कलेक्टर व उपखण्ड अधिकारी के निदेर्शानुसार अवैध खनन पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए एल.एन.टी. मशीन चालक एवं मशीन को जब्त कर थानाधिकारी पुलिस थाना मालपुरा को सुपुर्द किया गया, साथ ही पुलिस थाना मालपुरा में अवैध खननकर्ता के विरुद्ध Mines and Minerals (Development and Regulation) Act 1957, भारतीय न्याय संहिता 2023 तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई. आर) दर्ज करवाई गई।तहसीलदार मालपुरा ने बताया की निकट भविष्य में भी जिला कलेक्टर व उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के निदेर्शानुसार अवैध खनन एवं परिवहन पर नियमानुसार ठोस कार्यवाही की जावेगी ।

आज तीन घंटे बंद रहेगी बिजली

निवाई (सीमा सन्देश संवाददाता)। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड निवाई द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मंगलवार को तीन घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। कनिष्ठ अभियंता लक्की गोठवाल ने बताया कि रेलवे स्टेशन पावर हाउस से निकलने वाले 11 केवी मायलाबाग विद्युत फीडर पर रखरखाव कार्य को लेकर गणौरी बाजार, मायला बाग, शिवाजी कॉलोनी गली नंबर 1 से 16, देशराज आईटीआई के आसपास, पुलिस थाने के आसपास व बालिका स्कूल के आसपास के क्षेत्र में मंगलवार को सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी।

बाल विवाह रोकथाम जागरूकता कार्यक्रम सम्पन्न

सीमा सन्देश संवाददाता

टोंक। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला बाल संरक्षण इकाई बाल अधिकारिता विभाग के द्वारा चलाए जा रहे बाल विवाह रोकथाम जागरूकता कार्यक्रम में सिकोईडीकोन संस्था के सहयोग से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कोहना और सेंट सोल्जर पब्लिक स्कूल टोंक में जागरूकता कार्यक्रम किया गया।

जिसमें सहायक निदेशक नवल खान ने कार्यक्रम की शुरूआत करते हुए बाल विवाह के दुष्परिणामो के बारे मे जानकारी व कानूनी प्रावधानों के संबंध में बताया। कार्यक्रम में बाल कल्याण समिति से संदीप कांटिया ने बाल कल्याण समिति के कार्यों से अवगत कराया साथ ही मानव तस्करी विरोधी यूनिट प्रभारी देवेंद्र सिंह ने बालकों के खरीद फरोखत और बाल मजदूरी और बाल विवाह संबंधी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 100,112नंबर पर फोन करके सहायता ले सकते है। चाईल्ड हेल्प लाइन के जिला समन्वयक कमलेश सैनी ने चाईल्ड हेल्प की कार्य प्रणाली की जानकारी देते हुए बताया कि यह हेल्प लाइन 24घंटे चलने वाली हेल्प लाइन है। यह मुसीबत में फंसे बच्चों और जरूरत मंद बच्चों के लिए कार्य करती हैं।उन्होंने बताया कि यहां पर जानकारी देने वाला का नाम और नंबर गोपनीय रखा जाता हैं। बाल विवाह की सूचना 1098 पर देने के लिए बच्चों को प्रेरित किया। स्वयंसेवी संस्था सिकोइडिकोन के देवेंद्र जांगिड़ ने संस्था के कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि संस्था के टोल फ्री नंबर पर फोन करके बाल विवाह की सूचना दे सकते हैं। जनसहयोग और प्रशासन के सहयोग से इस कुरीति को समाप्त कर सकते हैं।कार्यक्रम के दौरान बाल अधिकारिता विभाग से बाल संरक्षण अधिकारी रामसहाय पारीक ,चाइल्ड हेल्प लाइन से सुपरवाइजर राहुल गजरा, मानव तस्करी विरोधी यूनिट से रिंकू शर्मा सहायक पुलिस उपनिरीक्षक ,संस्था से किरण शर्मा और विमल बुंदेल उपस्थित थे।

आमजन की समस्याओं का त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण किया जाएं-जिला कलेक्टर

सीमा सन्देश संवाददाता

टोंक। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय संपर्क पोर्टल, जिला स्तरीय जन सुनवाई पर दर्ज परिवादों का त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण किया जाएं। उन्होंने सोमवार को कलेक्टेªट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों को आमजन की शिकायतों का गुणव×ापूर्ण समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

जिला कलेक्टर ने फ्लैगशिप स्कीम, वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। राज्य बजट में जिले से संबंधित घोषणाओं की क्रियान्विति को लेकर जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि आमजन को इनका लाभ देने के लिए अधिकारी कार्यप्रणाली में तेजी लाएं। उन्होंने रसद विभाग की नवीन परिवारों को एनएफएसए से लाभाविन्त करना, विद्युत विभाग की कुसुम योजना घटक-ए, लाडो प्रोत्साहन योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना समेत राज्य सरकार की फ्लैगशिप स्कीम की विस्तार से समीक्षा की। साथ ही इन योजनाओं में प्रगति लाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने जिला स्तरीय मासिक जन सुनवाई में आए प्रकरणों की विभागवार समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को आगामी सात दिवस में इन प्रकरणों का निस्तारण कर जवाब भिजवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी जन सुनवाई में आए प्रकरणों को स्वंय एक रजिस्टर में संधारित करें। साथ ही प्रकरण में की गई कार्यवाही भी दर्ज करें, ताकि हर प्रकरण आपके संज्ञान में रहे। समीक्षा बैठक में एडीएम रामरतन सौकरिया, सीईओ परशुराम धानका, सार्वजनिक निर्माण विभग के एसई फूलचन्द सैनी, सहायक वन संरक्षक अनुराग महार्षि, कोषाधिकारी हरीश लालावत, एसीईओ ललित कुमार समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहें।

जाट अधिकारी कर्मचारी संघ की निवाई ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन, प्रह्लाद लाल बने अध्यक्ष

सीमा सन्देश संवाददाता

निवाई। जाट अधिकारी कर्मचारी संघ, जिला टोंक के तत्वावधान में शनिवार को निवाई ब्लॉक की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला स्तर से नियुक्त पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में ब्लॉक कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन किया गया।जिला पर्यवेक्षक बालू राम जाट एवं लादू लाल जाट की देखरेख में लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाते हुए निम्नलिखित पदाधिकारियों का मनोनयन किया गया, अध्यक्षः श्री प्रह्लाद लाल जाट (सेवानिवृत्त वरिष्ठ अध्यापक), ? उपाध्यक्षः श्री गोविंद नारायण जाट (सेवानिवृत्त वरिष्ठ अध्यापक), ? मंत्रीः श्री गिर्राज चौधरी (अध्यापक), कोषाध्यक्षः श्री मनमोहन जाट (वरिष्ट अध्यापक)।बैठक के दौरान संगठन की मजबूती और सामाजिक सरोकारों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य रूप से निम्नलिखित निर्णय लिए गए। सदस्यता अभियानः निवाई ब्लॉक में संघ का दायरा बढ़ाने के लिए सदस्यता अभियान में तेजी लाई जाएगी। वार्षिक सदस्यता शुल्क 1100 रुपए निर्धारित किया गया है।? शिक्षा पर जोरः बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और समाज की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 'प्रतिभा सम्मान समारोह' के आयोजन पर सहमति बनी।?सामाजिक सरोकारः विभिन्न सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और सामुदायिक एकजुटता पर बल दिया गया।कार्यकारिणी के गठन के पश्चात जिले भर के समाजसेवियों और अधिकारियों ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को उज्ज्वल कार्यकाल की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। नवनियुक्त अध्यक्ष प्रह्लाद लाल जाट ने कहा कि संघ कर्मचारियों के हितों के साथ-साथ सामाजिक उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहेगा।

अधिवक्ताओं के जयपुर प्रवास के चलते उपखण्ड न्यायालय में न्यायिक कार्य रहा स्थगित

पावटा (सीमा सन्देश संवाददाता)। कस्बे में सोमवार को पावटा उपखण्ड न्यायालय में न्यायिक कार्य पूर्ण रूप से स्थगित रहे। पावटा बार एसोसिएशन द्वारा जारी सूचना के अनुसार नवसृजित सिविल न्यायालय भवन के भूमि पूजन एवं शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु अधिवक्ताओं का जयपुर जाना तय था। साथ ही क्षेत्र में विवाह समारोहों की अधिकता के चलते भी अधिकांश अधिवक्ता निजी कार्यक्रमों में व्यस्त रहे। इसी के मद्देनजर अभिभाषक संघ पावटा ने सामूहिक निर्णय लेते हुए 20 अप्रैल 2026 को न्यायालय में कार्य नहीं करने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप उपखण्ड न्यायालय में दिनभर कोई न्यायिक कार्य संपादित नहीं हुआ।

विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ

मालपुरा (सीमा सन्देश संवाददाता)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टोंक की ओर से चलाये जा रहे बाल विवाह निषेध अभियान के तहत सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टोंक दिनेश कुमार जलुथरिया द्वारा तालुका मालपुरा स्थित पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मालपुरा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। विधिक जागरूकता शिविर में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टोंक द्वारा छात्राओं को बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में अवगत कराया। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 व बाल विवाह प्रतिशेध अधिनियम 2007 के बारे में जानकारी प्रदान की। साथ ही छात्राओं को किसी भी प्रकार की बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर प्रशासन व विधिक सेवा प्राधिकरण को अवगत कराने के लिए प्रेरित किया। चाईल्डलाईन हेल्पलाईन 1098 व राल्सा हेल्पलाईन0 15100 के बारे में जानकारी प्रदान की। मंच संचालन राजकुमार शास्त्री अध्यापक ने किया। प्रधानाचार्य महावीर जैन ने अतिथि का आभार व्यक्त किया। शिविर में पीएलवी रामप्रसाद वर्मा भी उपस्थित रहें। साथ ही मालपुरा स्थित उपकारागृह, का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान कुल 31 बंदी उपस्थित पाए गए। बन्दियों को उनके विधिक अधिकारों की जानकारी प्रदान की गई। बन्दियो से वार्ता कर उनके रहने, खाने के बारे में पूछा गया। रसोई घर का निरीक्षण किया गया। बन्दियों के रहने एवं उनके स्नानघर का निरीक्षण किया गया। मुख्य प्रहरी अब्दुल वहाब को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये व उपकारागृह में संचालित विधिक सेवा क्लिनिक का अवलोकन किया गया। रजिस्टर्स का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान जैल विजिटिंग अधिवक्ता अनीश कुमार जैन व पीएलवी रामप्रसाद वर्मा उपस्थित रहें।

भाजपा की बैठक सम्पन्न,कार्यकर्ता सम्मेलन में अधिकाधिक भागीदारी की हुई चर्चा

सीमा सन्देश संवाददाता

टोंक। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अध्यक्ष नितिन नबीन के 27 अप्रेल को टोंक आगमन को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने भाजपा कार्यालय में आईटी,सोशल मीडिया एवं मीडिया टीम की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक में कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की और कार्यकताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गईं।भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने कहा कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर संगठन में उत्साह का माहौल है।जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि सोशल मीडिया के माध्यम से कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस ऐतिहासिक आयोजन से जुड़ सकें।साथ ही मीडिया टीम को भी कार्यक्रम की हर गतिविधि को प्रभावी तरीके से कवर करने के निर्देश दिए गए।कार्यकताओं से सक्रिय रहकर संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया गया।बैठक में वरिष्ठ नेता दीपक संगत,जिला महामंत्री विष्णु शर्मा,जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र चौधरी ,राजेंद्र सैनी, राजेश शर्मा, प्रधान काबरा , जिला प्रवक्ता जुली शर्मा, रामावतार धाभाई,रतिराम पहाड़िया,विजय मालवानी,मीडिया संयोजक कमलेश यादव,हेमंत सैनी,आईटी संयोजक लोकेश गुप्ता, सोशल मीडिया संयोजक गणेश सैनी,बलवंत मराठा,सुभाष सैनी,शम्भू शर्मा,देवराज गुर्जर, धारासिंह गुर्जर, नरेंद्र चोपडा, उज्वल गौत्तम, पंकज शर्मा, चरण सिंह चौधरी, मनीष सिसोदिया, हकीकत सौदा, लक्ष्मण चौधरी,लवेश मीणा,श्योराज जाट,नवरत्न वर्मा,विनोद गुर्जर,विजय सिंह सहित अन्य मौजूद रहे।

पावटा में लापता बुजुर्ग का शव डंपिंग यार्ड में मिला, 4 दिन बाद हड्डियों के ढांचे में मिला शव

पावटा (सीमा सन्देश संवाददाता)। कस्बे में सोमवार सुबह एक हृदयविदारक घटना सामने आई, जहां 80 वर्षीय बुजुर्ग का शव क्षत-विक्षत अवस्था में डंपिंग यार्ड में मिला। मृतक की पहचान ओमप्रकाश गोयल के रूप में हुई है, जो 16 अप्रैल से लापता थे। जानकारी के अनुसार, ओमप्रकाश गोयल अम्बेडकर पार्क स्थित सब्जी मंडी कॉलोनी में अपने घर से अचानक लापता हो गए थे। परिजनों द्वारा काफी तलाश के बाद उनके भतीजे यति गोयल ने उसी दिन प्रागपुरा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। सोमवार 20 अप्रैल को करीब 11 बजे उनका शव घर से करीब 500 मीटर दूर पावटा के गोपाल भैया मंदिर के पास नदी किनारे स्थित डंपिंग यार्ड में हड्डियों के ढांचे के रूप में मिला। प्रारंभिक तौर पर पुलिस को आशंका है कि शव को जानवरों ने नोंचकर क्षत-विक्षत कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही प्रागपुरा थाने के एसआई रामजस मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की तथा शव को कब्जे में लेकर पावटा उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। चिकित्सकों ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि ओमप्रकाश गोयल अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। उनकी तीनों बेटियों का विवाह हो चुका है और परिवार में पत्नी व एक दोहिता है। इस घटना से परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आसपास के क्षेत्र में भी पड़ताल की जा रही है, ताकि घटना के कारणों का पता लगाया जा सके।

SMFG Grihashakti Nayi Asha. Naya Vishwas.

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय : 503 और 504, पांचवीं मंजिल, जी-ब्लॉक, इंस्पायर बीकेसी, बीकेसी मेन रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई - 400051
पंजीकृत कार्यालयः कॉमरजोन आईटी पार्क, टॉवर बी, प्रथम तल, नंबर 111, माउंट पूनमल्ली रोड, पोरूर, चेन्नई - 600116, टीएन

डिमांड नोटिस

प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002(''अधिनियम'') और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (''नियम'') के प्रावधानों के अधीन

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (इसके बाद एसएमएचएफसी के रूप में संदर्भित)** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिनियम के अधीन तथा अधिनियम की धारा 13(12) सहपठित के अधीन प्रदत्त शक्तियों की पालना में अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन डिमांड नोटिस जारी कर इन नोटिसों को प्राप्त करने की तिथि से **60 दिवस** के भीतर इन ऋणधारक(ों) को नोटिसों में उल्लेखित राशि का भुगतान करने के लिए आमंत्रित किया था। अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऋणधारक डिमांड नोटिसों को तामील करने से बच रहे हैं, इसलिए ये नोटिस नियमानुसार चस्पा और प्रकाशित कर तामील करवाए जा रहे हैं। डिमांड नोटिस(ों) के तथ्यों का विवरण यहां नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या और ऋणधारक/सह-ऋणधारकों किसी मामले में सम्पत्तिधारक का नाम	सुरक्षित आस्तियों/ बंधक सम्पत्ति का विवरण	धारा 13(2) के अधीन डिमांड नोटिस की तिथि व कुल बकाया
1	एलएएनः 621338012029576 1. श्रवण सिंह (ऋणधारक) (मृत ऋणधारक के कानूनी उत्तराधिकारी के माध्यम से) मोहनी देवी (सह-ऋणधारक और कानूनी उत्तराधिकारी) पता : पत्नी स्व. श्रवण सिंह, ग्राम काची का बाडिया, तहसील आसींद, वीटीसी रामपुरा, पीओ रामपुरा, उप जिला आसींद, जिला भीलवाड़ा, राज्य - राजस्थान, 311302 -	निवासी निजी प्लॉट नंबर 35-ए, खसरा नंबर 2188/1593, 2191/1595 और 2189/1593, रिद्धि सिद्धि कॉलोनी, ग्राम गढ़ी थोरियान, तहसील ब्यावर, जिला ब्यावर, राज. 305901. अधिमापन क्षेत्रः 68.28 वर्ग यार्ड चार सीमाएँः- पूर्वः प्लॉट नंबर 34 और आम रास्ता, पश्चिमः अन्य भूमि, उत्तरः प्लॉट नंबर 35 का भाग 35-बी, दक्षिणः अन्य भूमि।	27.03.2026 12.03.2026 के अनुसार रु. 10,28,988/- (रुपये दस लाख अठाइस हजार नौ सौ अठासी मात्र) एनपीए दिनांक 07.03.2026

ऋणधारक(ों) को यहां सलाह दी जाती है कि वे डिमांड नोटिस(ों) की पालना करें और इनमें तथा ऊपर उल्लेखित मांग का भुगतान इस प्रकाशन के 60 दिवस के भीतर वसूली की तिथि तक लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस प्रभारों, लागत व खर्चे सहित अदा करें। ऋणधारक यह भी नोट कर सकते हैं कि **एसएमएचएफसी** एक सुरक्षित लेनदार है और ऋणधारक(ों) द्वारा ली गई ऋण सुविधा उन अचल सम्पत्ति/सम्पत्तियों के विरुद्ध सुरक्षित बकाया है जिसे ऋणधारक(ों) द्वारा सुरक्षित आस्ति(यों) के रूप में बंधक रखकर गया। ऋणधारक दिये गये समय में अपनी देनदारी से पूर्णतः मुक्त होने में असफल होते हैं तो **एसएमएचएफसी** अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुरक्षित आस्तियों का कब्जा लेने की कार्यवाही करेगा, जो बकाया राशि की वसूली के लिए बिक्री के माध्यम से इनके हस्तांतरण या अधिनियम व नियमों में दी गई अन्य अतिरिक्त चाराजोई को प्रयोग करने तक ही सीमित नहीं होगी। **एसएमएचएफसी** विक्रय या हस्तांतरण के अधिकार के प्रयोग से पहले सुरक्षित आस्तियों को **अटैच और/या सील** करने में भी सक्षम है। बंधक सम्पत्तियों के मूल्य से **एसएमएचएफसी** को देय बकाया राशि की पर्याप्त पूर्ति न होने के मामले में सुरक्षित आस्तियों के विक्रय की निरंतरता में **एसएमएचएफसी** शेष बकाया की वसूली के लिए अलग से विधिक कार्यवाही का अधिकार भी रखती है। यह चाराजोई अन्य किसी भी कानून में **एसएमएचएफसी** को उपलब्ध अन्य सभी उपायों के अतिरिक्त व स्वतन्त्र होगी।
ऋणधारक(ों) को सावचेत किया जाता है कि अधिनियम की धारा 13(8) के अनुसार उपलब्ध समय में वे सुरक्षित आस्तियों को मुक्त करवाने के लिए आमंत्रित हैं और आगे अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार ऋणधारक(ों) को **एसएमएचएफसी** से पूर्व लिखित सहमति के बिना सुरक्षित आस्तियों के निस्तारण या इनके साथ कोई सौदा करने या विक्रय, लीज या अन्य (सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी अन्य तरीके से) रास्ते से सुरक्षित आस्तियों के हस्तांतरण से रोका/प्रतिबंधित किया जाता है और उक्त की पालना न किया जाना उक्त अधिनियम की धारा 29 के अधीन दंडनीय अपराध होगा। डिमांड नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध है और ऋणधारक यदि, इसकी आवश्यकता महसूस करें तो किसी भी कार्यदिवस पर सामान्य कार्य समय में अधोहस्ताक्षरकर्ता से प्राप्त कर सकते हैं।

हस्ता/-
प्राधिकृत अधिकारी
एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

स्थान : ब्यावर, राजस्थान
तिथि : 27.03.2026

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

परिशिष्ट -IV-A अचल सम्पत्ति/यों की ई-नीलामी-सार्वजनिक बिक्री सूचना

प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालय : नौवां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110 001 फोन : 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com

शाखा पता: पहली मंजिल, प्लॉट नंबर 5, न्यू पावर हाउस रोड, अखलिया सर्कल के पास, जोधपुर - 342003, राजस्थान।
शाखा का पता: पहली मंजिल, सिटी मॉल, झालावाड़ रोड, कोटा-324005, राजस्थान।

यहां जनसामान्य को एवं विशेष रूप से कॉलम नं.-ए में दिए गए ऋणधारक(ों) व जमानतदार(ों) को सूचित किया जाता है कि कॉलम नं. डी में वर्णित नीचे उल्लेखित अचल सम्पत्ति(यां) सुरक्षित लेनदार के बंधक/प्रभार में हैं, का रचनात्मक/भौतिक कब्जा (कॉलम नं.-सी में विवरण के अनुसार) **मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड /सुरक्षित लेनदार** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, को नीचे उल्लेखित विवरण के अनुसार ''जैसा है जहां है, जो भी वहां है और वहां जो भी है के आधार पर'' विक्रय किया जाएगा।

यहां प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 अद्यतन तिथि को संशोधित के नियम 8(6) व 9 के अधीन ऋणधारक(ों)/बंधककर्ता(ओं)/विधिक वारिसों/विधिक प्रतिनिधि,(जो भी ज्ञात या अज्ञात), ऋणधारकों/बंधककर्ता(ओं)(मृतक के बाद से) के निष्पादक(ों), प्रशासक(ों), उत्तराधिकारी(यों),संपत्ति-भागी(यों) मामले में कॉलम नं.-ए में दिखाए अनुसार को सूचित किया जाता है। विक्रय के विस्तृत नियम व शर्तों के लिए कृपया मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड / सुरक्षित देनदार की वेबसाइट यथा **www.pnbhousing.com** में दिए लिंक पर जाएं।

ऋण संख्या ऋणधारक/सह-ऋणधारक/ जमानतदार/विधिक उत्तराधिकारियों का नाम (ए)	मांग की राशि और दिनांक (बी)	कब्जे का प्रकार (सी)	बंधक सम्पत्तियों का विवरण (डी)	आरक्षित कीमत (आरपी) (इ)	ईएमडी (आरपी का 10 प्रतिशत) (एफ)	बोली जमा कराने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि दर (एच)	निरीक्षण की तिथि व समय (आई)	नीलामी की तिथि व समय (जे)	ज्ञात भार/ कोर्ट केस, यदि कोई, (के)
एनएचएल/जेडीएच/0919/744745, राजेंद्र कुमार लुंकर/श्रीमती। इंद्र कंवर लंकर/नरेंद्र कुमार लंकर/महादीप फैब्रिक्स/विजेता राजेंद्र कुमार, बी.ओ.:- जोधपुर	13.12.2024 के अनुसार रुपये 91,94,561.12/-	भौतिक	79, गजानंद मार्ग, पाली, राजस्थान -306401	रुपये 1,34,62,000/-	रुपये 13,46,200/-	21.05.2026	रुपये 1,00,000/-	12.05.2026 दोपहर: 10.00 बजे से सायं 05:30 बजे	22.05.2026 दोपहर: 2:00 बजे से दोपहर 3:00 बीच	SA/369/2025, NDOH 20.05.2026
एनएचएल/कोटा/1023/1171640 शुभम शर्मा/नीलम शर्मा/नवल किशोर शर्मा बी.ओ.:- कोटा	06.08.2025 के अनुसार रुपये 67,85,401.72/-	भौतिक	बालमंदिर स्कूल रोड, भीमगंजमंडी, कोटा जंक्शन, कोटा, राजस्थान-324002	रुपये 90,50,000/-	रुपये 9,05,000/-	21.05.2026	रुपये 20,000/-	12.05.2026 दोपहर: 10.00 बजे से सायं 05:30 बजे	22.05.2026 दोपहर: 2:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे	*शून्य/ ज्ञात नहीं

*इसके भुगतान और/या वसूली की तिथि तक आगामी ब्याज @18% प्रतिवर्ष जैसा लागू हो, आकस्मिक खर्चों, लागत, प्रभारों आदि सहित। **पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी की समग्र जानकारी व ज्ञान के अनुसार उक्त उल्लेखित अचल/सुरक्षित आस्तियों पर कॉलम नं.-के में क्या खुलासा है को छोड़कर कोई अन्य भार/दावे नहीं है। आगे कुछ भारों को सफल क्रेता/बोलीदाता को अपने द्वारा वहन/अदा किया जाना है। भावी क्रेता(ओं)/बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे स्वतंत्र रूप से उल्लेखित भारों की सच्चाई की जांच कर लें।
1. कॉलम-के में उल्लेखित स्थिति के अनुसार इस तिथि पर, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी पर उक्त अचल सम्पत्तियों/सुरक्षित आस्तियों के विक्रय, हस्तांतरित और/या निपटाने पर कोई निषेध आदेश और/या न्यायालय निषेधाज्ञा नहीं है। 2. भावी क्रेता/बोलीदाता और इच्छुक पार्टियां स्वतंत्र रूप से इस मामले में हुई कार्यवाही/पारित आदेशों आदि का निरीक्षण कर सकती हैं, यदि कोई, कॉलम नं.-के में उल्लेख सहित, इस संबंध में पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध दस्तावेजों के स्वामित्व तक सीमित नहीं और बोली प्रपत्र के साथ नीलामी की शर्तों व नियमों को हस्ताक्षरित करने या निविदा/बोली आवेदन प्रपत्र या प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने से पूर्व बोलीदाता सभी मामलों में स्वयं को संतुष्ट कर लें। बोलीदाता बोली प्रपत्र के साथ संलग्न नीलामी की शर्तों व नियमों को हस्ताक्षरित करेंगे। 3. कृपया नोट करें प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) की शर्तों में, बोलीदाता(ओं)/क्रेता विधिक तौर पर विक्रय राशि का 25 प्रतिशत (बयाना राशि, सहित) उसी दिन या अगले कार्यदिवस से विलम्ब नहीं, जमा करवाने के लिए विधिक रूप से बाध्य हैं। सुरक्षित लेनदार द्वारा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसरण में विक्रय मूल्य की 25% राशि प्राप्त होने पर केवल बोलीदाता के पक्ष में विक्रय की पुष्टि की जा सकती है। विक्रय स्वीकृति राशि का शेष 75% क्रेता द्वारा विक्रय पुष्टि पत्र प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करवाना होगा और इसमें चूक होने पर विक्रय पुष्टि पत्र में उल्लेखित 15 दिवसीय अनिवार्य अवधि की समाप्ति तिथि से 15 दिवसीय की अवधि में विक्रय स्वीकार्यता राशि का हिस्सा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जब्त कर लिया जाएगा और सरफेसी एक्ट के प्रावधानों के अनुसारसम्पत्ति/सुरक्षित आस्ति पुनः बेची जाएगी। 4. **मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ई-नीलामी में बिक्री आयोजित करने में प्राधिकृत अधिकारी का सहयोग करेगी, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट नं. 68, तृतीय तल, सेक्टर 44, गुड़गांव, हरियाणा 122003, वेबसाइट - www.bankeauction.com है, सम्पत्ति के निरीक्षण या बोली दस्तावेजों प्राप्त करने और किसी भी अन्य पूछताछ या पंजीयन के लिए किसी सहायता हेतु आप पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत व्यक्ति श्री दुर्गा शेखावत/अश्वनी कुमार शर्मा, टोल फ्री नं. 1800 120 8800 और ईमेलः auction@pnbhousing.com, से समन्वय कर सकते हैं या www.pnbhousing.com पर जा सकते हैं।**

स्थान : जोधपुर, कोटा, तिथि : 20.04.2026 — हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड